

रामा पासवान व अन्य

बनाम

झारखण्ड राज्य

अप्रैल 13, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत एण्ड डी. के. जैन, जे.जे]

दण्ड संहिता 1860, अंतर्गत धारा 376/दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 311,  
313, 320

फौजदारी विचारण :

बलात्कार-साक्षियों की परीक्षा - साक्ष्य का अवलोकन- अतिरिक्त जांच परीक्षा के लिये पीडित को बहस के स्तर पर पुनः बुलाना तलब करना कि पक्षों के न्यायालय के बाहर विवाद का पूर्ण निपटारा हो, धारा 311 द.प.स. का विस्तार व अधिकार क्षेत्र- विनिश्चय:- धारा 311 द.प.स. के प्रावधानों के अनुसार न्यायालयों का यह दायित्व है कि किसी भी गवाह को बुलाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए वैध साधनों से गवाह की परीक्षा करें न्याय का उद्देश्य यही है किसी पक्षकार की गलती पर न्याय की विफलता न हो। अभिलेख पर परीक्षित गवाह, मूल्यवान गवाहों की साक्ष्य में अस्पष्टता न हो इसलिये न्यायालयों को गवाहों को बुलाने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा साक्ष्य के प्रमुख नियम यह हैं कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिये यद्यपि न्यायालय अभियोजन या बचाव पक्ष को किसी विशेष साक्षी/साक्षियों को परीक्षित करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है लेकिन न्यायालय प्रायः पक्षकारों द्वारा लगाए गए अवरोधन आरोपों साक्ष्य में प्रकाश में लाए अनिश्चयापक/ अनिर्णायक तर्कों पर निर्भर रहना पड़ता है इस प्रकार के मामले में न्यायालय धारा 311 द.प्र.स. के

द्वितीय भाग पर पर कार्य करता है यद्यपि धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता 1872 का अपराध धारा 320 द.प्र.स. के तहत शमनीय अपराध नहीं है विचारण न्यायालय ने पीडिता/पी.डब्ल्यू 4 को पुनः बुलाकर परीक्षित करने की प्रार्थना को सही खारिज किया।

मुखबिर द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाई गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पीडित पीडब्ल्यू 4 के साथ बलात्कार किया था। घटना की दिनांक 30-05-1992 बताई गई थी। पुलिस द्वारा 29-09-1994 को आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने अगम्य विरचन के पश्चात साक्षियों की साक्ष्य 1994 से 2004 तक लेखबद्ध की। 18-05-2004 को विचारण न्यायालय ने यदि अन्य कोई अतिरिक्त साक्षी हो तो उन्हें पेश करने का निर्देश दिया। 18-05-2004, 28-05-2004, 10-06-2004 तक कोई गवाह पेश नहीं होने पर अभियोजन साक्ष्य बंद की गई। धारा 313 द.प्र.स. 1973 के तहत अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किये। साक्ष्य प्रतिरक्षा में साक्षियों के कथन दिनांक 25-06-2004 व 13-12-2004 को लेखबद्ध किये गए। बहस के स्तर पर धारा 311 द.प्र.स. का प्रार्थना पीडित को पुनः तलब कर अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा इस आधार पर किये जाने हेतु पेश किया गया कि पक्षों के न्यायालय के बाहर मामले को सुलझा लिया है और मुखबिर अंधेरे में अपराध घटित होने के कारण अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र को खारिज किया। बाद में धारा 482 द.प्र.स. के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया वह भी विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई इसलिये वर्तमान अपील पेश की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि जब पक्षों ने विवाद को सुलझा लिया तो कार्यवाहियों को जारी रखना न्यायहित में आवश्यक नहीं है और उच्च न्यायालय को धारा 482 द.प्र.स. की शक्ति का प्रयोग करना चाहिये।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने विनिश्चय किया कि -

1.1 धारा 311 द.प्र.स. के तहत न्यायालय का यह दायित्व है कि सभी वैध साधनों से सत्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिये ऐसे साधनों में एक है साक्षियों की परीक्षा अपनी मर्जी से करना जब कुछ स्पष्ट कारणों से कोई भी पक्ष उन गवाहों को बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है जो कि न्यायालय के साक्ष्य महत्वपूर्ण सुसंगत तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने की स्थिति में है। {पैरा 7}{88-ए}

1.2 धारा 311 द.प्र.स. का उद्देश्य किसी भी पक्षकार की गलती से मूल्यवान साक्ष्य को अभिलेख पर लाने या दोनों पक्षों के परिचित गवाहों के कथनों में अस्पष्टता छोड़ने से न्याय की विफलता नहीं होगी।

1.3 धारा 311 द.प्र.स. सामान्य धारा है जिसके प्रावधान सभी जांच विचारण व सभी कार्यवाहियों पर प्रभावी है जो मजिस्ट्रेट को किसी भी स्तर पर किसी भी गवाह को किसी भी कार्यवाही व जांच विचारण में तलब किये जाने की सशक्त बनाती है सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है " किसी भी स्तर पर जांच विचारण व अन्य कार्यवाही लागू होना है इस प्रकार यह धारा साक्षियों को तलब करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक विवेक से करना चाहिये। {पैरा 8}{ 88-सी-ई}85

1.4 साक्ष्य का यह प्रमुख नियम है कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की जानी चाहियें। धारा 60,64, व 91 साक्ष्य अधिनियम 1872 इस नियत पर आधारित है। संहिता के इन प्रावधानों के आधार पर न्यायालय को यह प्राधिकार नहीं है कि वह अभियोजन को बाध्य करे या निर्देश दे कि वे किसी विशेष गवाह/गवाहों को परीक्षित करवाए वरन् यह भार/दायित्व पक्षकारों पर डाला गया है लेकिन न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह टिप्पणी कर सकता है कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य पेश नहीं की गई है और प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है। न्यायालय को पक्षों

द्वारा लगाए अवरोधित आरोपो/आक्षेपो व तथ्यो के अनिर्णायक/अनिश्यापक निष्कर्ष जो साक्ष्य में प्रकाश में लाए गए हैं, पर निर्भर रहना पड़ता है, इस तरह के मामलों में न्यायालय धारा 311 द.प्र.स. के द्वितीय भाग पर कार्य करना आवश्यक है। कई बार न्यायालय के निर्देश पर परीक्षित साक्षी का यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कमीपूर्ति के लिये उसे लाया गया है यह विशुद्धतः एक अतिरिक्त तथ्य है जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिये क्या नई साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं इसका निर्धारण पीठासीन न्यायाधीश को प्रत्येक मामले की तथ्य परिस्थिति पर निर्धारित करना चाहिये। {पैरा 9}{ 88-एफ-एच, 89-ए}

1.5 धारा 311 द.प्र.स. का उद्देश्य साक्ष्य को अभियोजन व अभियुक्त के ही नहीं वरन् सुव्यवस्थित समाज के लिये भी रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है। {पैरा 10}{89-बी}

1.6 न्यायालय द्वारा धारा 311 दं.प्र.सं. से तलब किये गये गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार नहीं होता है लेकिन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई गवाह जो उनका नहीं है, उससे प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार दिया है, जबकि जो गवाह न्यायालय द्वारा तलब किया जाता है, उसे न्यायालय किसी विशेष पक्ष का गवाह मानती है। न्यायालय को परिवादी को प्रति परीक्षा का अधिकार देना चाहिये। {पैरा 10}{89-सी}

जामतराज केवली जी गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. (1968) एस.सी. 178 पर आधारित है।

2.1 धारा 311 दं.प्र.सं. के क्षेत्राधिकार देखते हुए किसी दखलंदाजी के लिए कोई मामला प्रकट नहीं होता है। पूर्व में लेखबद्ध साक्ष्य का क्या प्रभाव होगा, यह विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। धारा 376 भा.दं.सं. का अपराध धारा 320

दं.प्र.सं. के तहत शमनीय अपराध नहीं है। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने प्रार्थना को सही खारिज किया है। {पैरा 11}{89-डी}

2.2 मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। {पैरा 11}{89-डी}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अपराधिक अपील नं. 554/2007

दिनांक 29.07.2005 के रांची झारखण्ड उच्च न्यायालय के आपराधिक निगरानी नं. 437/05 के निर्णय व आदेश से अपीलार्थी की तरफ से अजीत कुमार पाण्डे गैर अपीलार्थी की तरफ से अजीत कुमार सिन्हा रामा पासवान बनाम झारखण्ड राज्य [पसायत, जे.]

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरीजीत पसायत द्वारा पारित कर प्रार्थना स्वीकार की गई।

2. अपीलार्थीगण ने विद्वान एकल न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिससे अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई याचिका को खारिज किया गया था।

3. मामले की पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:- बिना प्रमाण के आरोप लगाया बिना प्रमाण के आरोप लगाया गया कि पी.ड. 04 (जिसे इसके बाद पीडित के रूप में संबोधित किया जायेगा) का बलात्कार किया गया। धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) में दोषसिद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट(संक्षेप में एफ.आई.आर.) सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज करवाई गई। घटना घटित होने की दिनांक 30.05.1992 थी। आरोप पत्र दिनांक 29.09.1994 को पेश किया गया। आरोप विरचित करने के पश्चात् 1994 से 2004 तक गवाहों का परीक्षण किया गया। अनेक गवाहों की परीक्षा के बाद दिनांक 18.05.2004 को विचारण न्यायालय ने यदि कोई अतिरिक्त गवाह हो तो पेश करने के निर्देश दिए लेकिन अभियोजन का कोई गवाह दिनांक

18.05.2004, दिनांक 28.05.2004 व दिनांक 10.06.2004 को पेश नहीं किया गया तो अभियोजन की साक्ष्य बंद की गई। दिनांक 16.06.2004 को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में दं.प्र.संहिता) में अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रतिरक्षा साक्ष्य में साक्षियों के कथन दिनांक 25.06.2004 और दिनांक 13.12.2004 के मध्य लेखबद्ध किये गये। उसके बाद मामला बहस अंतिम के लिये नियम किया गया। इस स्तर पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.संहिता पीडिता की अतिरिक्त प्रति परीक्षा किये जाने, कि पक्षों ने शुद्धचित्त को हस्तक्षेप से न्यायालय के बाहर मामले को सुलझा लिया है और सूचनाकर्ता अंधेरा होने के कारण अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। विचारण न्यायालय ने यह आवेदन दिनांक 01.04.2005 को खारिज किया। विचारण न्यायालय का यह विचार था कि परिस्थितियां यह दर्शित करती हैं कि अभियुक्त के द्वारा पीडित को पुनः बुलाने की प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है और इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। यह भी दर्शित किया गया कि प्रकरण 10 वर्षों से लम्बित है। उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 482 दं.प्र.सं. में पेश याचिका चुनौती दिये गये आदेश में खारिज की गई। उच्च न्यायालय का यह विचार था कि धारा 482 दं.प्र.सं. याचिका में संलग्न राजीनामा पक्षों के मध्य राजीनामा होने का आभास कराता है। धारा 376 भा.दं.सं. अशमनीय है और जब पीडिता विचारण के दौरान परीक्षित व प्रतिपरीक्षित की जा चुकी हो तो पीडित को पुनः बुलाने की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और इस आधार पर याचिका खारिज की गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में तर्क दिया कि जब पक्षों के बीच कार्यवाहियों के चलते हुए मामला सुलझा लिया गया है तो कार्यवाहियों को चालू रखना न्यायाहित में नहीं है। उच्च न्यायालय धारा 482 दं.प्र.सं. के क्षेत्राधिकार का उपयोग करना चाहिये था।

5. दूसरी तरफ विद्वान अधिवक्ता राज्य ने विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

6. धारा 311 दं.प्र.सं. का दायरा व क्षेत्राधिकार देखा जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है:-

"आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति- कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलायेगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।"

7. यह धारा मुख्यतः दो भागों में है। पहले भाग में "कर सकेगा और दूसरे भाग में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है। परिणामतः पहले भाग में विशुद्ध रूप से फौजदारी न्यायालय को विवेकीय शक्ति दी गई है। संहिता के तहत की जाने वाली जांच, विचारण व कार्यवाही के किसी भी स्तर पर (अ) किसी को भी गवाह के रूप में बुलाना (ब) न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को परीक्षित करना (स) ऐसे व्यक्ति पुनः बुलाना व पुनः परीक्षित करना, जिसकी साक्ष्य पहले से हो चुकी हो। दूसरी तरफ दूसरे भाग में यह आज्ञापक है और न्यायालय को बाध्य करता है, यदि कोई नई साक्ष्य प्रकट है जो मामले के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है तो पूर्व कथित कार्य करे। यह

एक अनुपूरक (अतिरिक्त) कार्यवाहीकरने योग्य प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में सारभूत साक्षी को परीक्षित करने का भार न्यायालय पर डालती है, जो अन्य प्रकार से न्यायालय के समक्ष नहीं आती है। इसका यथा संभव व्यापक वर्णन किया गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी स्तर पर और किसी भी प्रकार प्रगतिशील वरन् सामान्य दायित्व है कि न्यायालय उन गवाहों की परीक्षा को जो राज्य व लोक के बीच न्याय करने के लिये नितान्त आवश्यक हो। न्यायालयों पर यह भार अधिरोपित किया गया है कि वे विधिपूर्ण साधनों से सत्य तक पहुंच सकें और ऐसे गवाहों की स्वयं परीक्षा कर सकें, जिन गवाहों को कोई पक्ष नहीं बुलाता है जो महत्वपूर्ण सारभूत तथ्यों के संबंध में बोलने की स्थिति में हैं।

8. धारा 311 दं.प्र.सं. का आधारभूत उद्देश्य यह है कि किसी भी पक्षकार की गलती से मूल्यवान साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने से रह जाए या किसी भी पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों के कथनों में अस्पष्टता रह जाए तो इस आधार पर न्याय की विफलता न हो। निर्धारक तथ्य यह है कि क्या मामले के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये है। यह प्रावधान केवल अभियुक्त के फायदे के लिये नहीं है और यह भी उपयुक्त नहीं होगा कि किसी गवाह को इस प्रावधान के तहत बुलाया जावे कि गवाह अभियोजन या अभियुक्त की साक्ष्य का समर्थन करता है। यह प्रावधान सामान्य प्रावधान है जो संहिता के तहत की जा रही सभी कार्यवाहियों, जांच विचारण पर लागू होता है। मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करता कि किसी भी जांच विचारण व कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में गवाह को बुला सके। धारा 311 दं.प्र.सं. महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि "संहिता के तहत जांच विचारण व अन्य कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर लागू होता है। इस आधार पर यह विचार पूर्ण कि यह प्रावधान न्यायालय को गवाह को बुलाने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। इस प्रदान किये गये विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से, जिसकी व्यापक शक्ति है, उतनी ही वृहत्तर न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग की आवश्यकता है।



9. उपरोक्त वर्णित के अनुसार यह प्रावधान पूर्णतः विवेकीय है इसका द्वितीय भाग मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि न्यायालय सभी व्यक्तियों को, जिनकी साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये आवश्यक है, को बुलाए व परीक्षित करे। यह साक्ष्य विधि का यह मुख्य नियम है कि सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के समय लाई जानी चाहिये। धारा 60, 64 व 91 साक्ष्य अधिनियम 1872 (संज्ञेय में साक्ष्य अधिनियम) इस सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रावधान न्यायालय को प्राधिकृत नहीं करते कि वे अभियोजन व प्रतिरक्षा साक्ष्य में किसी विशेषीकृत गवाह व गवाहों को उनकी तरफ से परीक्षित करावे लेकिन साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह नोट अंकित कर सकता है कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य पेश नहीं की गई है और प्रतिकूल अनुमान लगा सकता है। न्यायालय हमेशा पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों पर व साक्ष्य से प्राप्त अनिर्णायक अनिश्चयक अनुमान पर निर्भर करेगा। इस प्रकार के मामले में न्यायालय इस प्रावधान के दूसरे भाग पर कार्य करेगा। कई बार न्यायालय द्वारा गवाहों के परीक्षण कर परिणाम अनुमानतः कमीपूर्ति है, जो कि विशुद्धतः अतिरिक्त तथ्य है जो कि विचार में नहीं लिया जायेगा। क्या नई साक्ष्य आवश्यक है अथवा नहीं, यह पूरी तरह प्रत्येक मामले की तथ्य व परिस्थिति के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

10. धारा 311 दं.प्र.सं. का उद्देश्य न केवल अभियुक्त व अभियोजन बिन्दू की तरफ से वरन् समाज के दृष्टिकोण से साक्ष्य लेना है। यदि कोई गवाह न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है और वह परिवादी के विरुद्ध साक्ष्य देता है तो उससे प्रति परीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। गवाह से प्रति परीक्षा का अधिकार धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत उत्पन्न होता है लेकिन साक्ष्य अधिनियम में केवल उसी गवाह से प्रति परीक्षा का अधिकार होता है जो उनका स्वयं का गवाह नहीं होता है। जब कोई गवाह न्यायालय द्वारा तलब किया जाता है तो वह किसी विशेष पक्षकार का गवाह नहीं होता है,

न्यायालय परिवादी को प्रति परीक्षा का अधिकार दे सकता है। यह दृष्टिकोण जामतराज केवल जी बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1968 में भी आकर्षित/उजागर किया गया है।

11. धारा 311 दं.प्र.सं. के क्षेत्राधिकार को मानते हुए यह प्रकट नहीं होता है कि कहीं ऐसा कोई हस्तक्षेप किया गया। पूर्व परीक्षित साक्ष्य का क्या प्रभाव होगा, यह विचारण न्यायालय द्वारा विचार में लिया जायेगा। धारा 376 भा.दं.सं. का अपराध धारा 320 दं.प्र.सं. में शमनीय नहीं है। उच्च न्यायालय व विचारण न्यायालय ने आवेदन को सही खारिज किया। हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं पाते हैं। हमारा असहयोग/हस्तक्षेप नहीं करना मामले के गुणावगुण पर कोई राय प्रसारित नहीं करता है।

एस.के.एस.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुमकुम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण :** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।